

## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

भावेदन क्रमांक/स्कृत क्रमांक 120847/

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (**इनदौर** ), मध्यपरदेश

25686

रक्त Bacred Heart CoEd SrSecSchool -मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सब - 2022-23

Signature valid 2022

Digitally signed by Date: 2022 05 24 91 21 16 +05 30 Reason: Issued by dec indo e

ufit.

पर्वधक (Secred Heart CoEd SrSecSchool)

विषय

नि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 13/03/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यव्हार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - Sacred Heart CoEd SrSecSchool डाइस कोड - 23260505709 स्कूल क्रमांक - PS 25686 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालाविध के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंददता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल नि शिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2 ) के उपबंधों का पालन करेंगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस देशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेंगा
  - o (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालाविध के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है:
  - ० (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि
  - o किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;
  - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आईता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनाक से 5 वर्ष कि अविधि में निर्धारित न्यूनतम आईता प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरहष्ट कर्तर्ट्यों का पालन करना होगा
  - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामाकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिद्दष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखें जाएंगे | अतिम निरीक्षण के समय स्कूल मैं उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

NO: CBSE/1030425/EX-01264-2223/2022-23/

Dated: 06/08/2021

The Manager,

SACRED HEART CO-ED SCHOOL INDORE MP SACRED HEART CO-ED SCHOOL,MUNDLA NAYTA BYE-PASS ROAD,DIST & TEH INDORE MADHYA PRADESH,INDORE, 452023 (M: 91-7748819259)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.

This is with reference to school application on the subject cited above and subsequent rejection of the application by the Board due to want of various Mandatory Documents. In this connection, considering the current COVID-19 pandemic situation which has severely affected the normal functioning of schools in the country. The said application has been relooked into and to avoid any difficulty for the purpose of admission/registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities. Therefore, the Board after due consideration has accorded one time relaxation for extension of affiliation based on details/ data submitted by school in online application for further period of 05 years as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	1030425
School No	50581
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

- 1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
- 2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
- The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
- 4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates.
- 5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
- 6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
- 7. The school should go through the Circular No. 13/2021 dated 27.07.2021 for strict compliance "The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".